



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274485
CG-DL-E-14072026-274485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3700]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3700]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3862(अ).— केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में, अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय प्रवर्ग की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) को अनिवार्य करने हेतु पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिसूचना' कहा गया है) संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 प्रकाशित की थी,

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्ग 'ख' की परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर शीघ्र अनापत्तियों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों (एसईआईए) का गठन किया गया है। एसईआईए की सहायता के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों (एसईएसी) का गठन किया जाता है।

और एसईआईए और एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एसईआईए और एसईएसी की अनुपस्थिति में, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजनाओं का अंकन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। पुनर्गठन की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्ति से छह मास पूर्व प्रारंभ की जाती है, तथापि राज्यों से प्रस्तावों के विलंब से या अपूर्ण प्रस्तुतीकरण के कारण देरी होती है।

और, मंत्रालय में इस विषय की समीक्षा की गई है। यह देखा गया है कि एसईआईए के पुनर्गठन में विलंब से राज्य स्तर पर इसी प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है और लंबित प्रस्तावों को एक साथ केन्द्र को अंतरित कर दिया जाता है, जिससे समय-सीमा बढ़ जाती है और परियोजनाओं के अंकन में अवांछित देरी होती है, जो परियोजना की समय-सीमा और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है;

और, केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि एसईआईए और एसईएसी की निरंतरता सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए एक अलग स्थायी निकाय को अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकृत किया जाए ताकि कार्यकारी प्राधिकारी की अनुपस्थिति में तथा नए एसईआईए और एसईएसी के गठन तक परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अंकन किया जा सके और पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन विनियामक अनापत्तियाँ प्रदान की जा सकें।

और पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 का परिशिष्ट 6 प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए क्षेत्र या परियोजना-विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ अंकन समिति (ईएसी) और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों (एसईएसी) की संरचना के लिए उपबंध करता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाना है। वर्षों से ईएसी और एसईआईए व एसईएसी के गठन में प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय यह आवश्यक समझता है कि परिशिष्ट 6 के उपबंधों में कतिपय संशोधन किए जाएँ ताकि ईएसी और एसईआईए और एसईएसी के गठन को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके;

और उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1165 (अ), तारीख 5 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; तथा उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) में तारीख 14, सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 3 के, उपपैरा (6) में:-

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(6क) राज्य सरकार द्वारा एसईआईए के पुनर्गठन की प्रक्रिया इसकी समाप्ति से छह मास पहले शुरू की जाएगी।

(6ख) उपर्युक्त एसईआईए के गठन के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक स्थायी पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) भी होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा और इसमें समुचित समझे जाने वाले पदेन सदस्य होंगे। एसईआईए के कार्यकाल की समाप्ति या किसी अन्य कारण से निष्क्रिय होने की स्थिति में एसईआईए अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए एसईआईए के कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसे अधिकतम छह मास की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) पैरा 3 में, उपपैरा (7) में, "एसईआईए" अक्षरों के पश्चात् "या एसईआईए" अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) पैरा 4 के, उप पैरा (iii) में "सम्यक रूप से गठित एसईआईए या एसईएसी के अभाव में, किसी प्रवर्ग श्रेणी 'ख' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर प्रवर्ग 'ख' परियोजना समझी जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(घ) पैरा 5 में, उप-पैरा (ग) में :-

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा।

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(गक) राज्य सरकार द्वारा एसईएसी के पुनर्गठन की प्रक्रिया इसकी समाप्ति से छह मास पहले शुरू की जाएगी।

(गख) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण समाघात अंकन संबंधी स्थायी समिति (एससीईआईए) गठित की जाएगी, जिसमें पदेन सदस्य होंगे। जो एसईएसी(ओं) के कार्यकाल की समाप्ति या किसी अन्य कारण से निष्क्रिय होने की स्थिति में एसईआईए अधिकतम छह मास की अवधि के लिए एससीईआईए के कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसे अधिकतम छह मास की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।”

(ङ) परिशिष्ट 6 को निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परिशिष्ट 6

(पैरा 3 और 5 देखें)

क. केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग-क परियोजनाओं के लिए क्षेत्र/परियोजना-विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ अंकन समिति (ईएसी) तथा प्रवर्ग-ख परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर की पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों (एसईएसी) की संरचना और पात्रता मानदंड।

1. अर्हता:

- i. एमए या एमएससी या एमबीए या एलएलएम डिग्री के लिए 5 वर्ष की औपचारिक शिक्षा या विहित शिक्षता/आर्टिकलशिप से अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या
- ii. इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या वास्तुकला विधाओं के मामले में, बी.टेक या बी.ई. या बी.आर्क. डिग्री के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चार वर्ष की औपचारिक शिक्षा, या
- iii. सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त सिविल सेवा अधिकारी।

2. अनुभव: उपर्युक्त अर्हताओं का कोई भी व्यक्ति, जिसके पास कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव या पीएच.डी. उपाधि के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों या विषयों में कम-से-कम दस वर्षों का कुल अनुभव हो—

- i. पर्यावरण क्वालिटी: पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप, मानीटरी, विश्लेषण और डाटा के निर्वचन में विशेषज्ञ।
- ii. क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन: परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञ या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया या प्रचालन या सुविधाओं का प्रबंधन।
- iii. पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया: ऐसे विशेषज्ञ जो पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) का प्रचालन और उसे कार्यान्वयन, तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) और अन्य प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने में विशेषज्ञ हों, और जो ईआईए प्रक्रिया में उपयोग होने वाली भावी तकनीकों और औजारों में व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों।

iv. जोखिम निर्धारण।

v. प्राणी विज्ञान (पेड़-पौधे और जीव-जंतु प्रबंधन) या वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र।

vi. परियोजना अंकन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र।

vii. लोक प्रशासन या प्रबंधन, जिसमें विभिन्न विकास क्षेत्रों तथा पर्यावरणीय विषयों का समावेश हो।

3. ईएसी या एसईएसी की सदस्यता पंद्रह सदस्यों जिसके अंतर्गत सदस्य सचिव भी है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले में ईएसी या एसईएसी की सहायता के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगा।
4. अध्यक्ष पर्यावरणीय नीति या पर्यावरणीय प्रबंधन में अनुभव रखने वाला एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा।
5. अध्यक्ष, अपने सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष नामानिर्देशित करेंगे जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ईएसी या एसईएसी की अध्यक्षता करेगा।
6. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि क्रमशः ईएसी/एसईएसी के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार देखेगा। केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, एसईआईए या एसईएसी के सदस्य सचिव को प्रशासनिक कारणों से प्रतिस्थापित कर सकेगी।
7. कोई भी सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, ईएसी या एसईएसी या एसईआईए में कुल मिलाकर अधिकतम दो कार्यकाल तक कार्यरत रह सकते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्यकाल अधिकतम चार वर्ष का होगा, परंतु नियुक्ति के समय उसकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता या कमी का न्यायोचित्य प्रस्तुत किया जाता है, तो नियुक्ति के समय अध्यक्ष या सदस्य की अधिकतम आयु पचहत्तर वर्ष तक अनुज्ञात की जा सकती है।
8. पूर्वोक्त समितियों और/या प्राधिकरणों, अर्थात् ईएसी, एसईएसी और एसईआईए के अध्यक्ष/सदस्य को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं हटाया जाएगा। सिवाय उन मामलों में जहाँ आरोप साबित हो गए हों, जिससे पूर्वोक्त समितियों और/या प्राधिकरणों का कार्य सही, कुशल और निष्पक्ष रीति में होने पर प्रभाव पड़ रहा हो। इन आरोपों में ईआईए अधिसूचना, 2006 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के परे पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान अथवा अस्वीकार करने के प्रस्तावों, के निस्तारण में विलंब भी सम्मिलित होगा।

[फा. सं. आईए 3-22/21/2025-आईए. III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण; मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 389 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3862(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has published the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance (EC) for certain category of projects covered in the Schedule of the notification;

AND WHEREAS, the State Level Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for decentralization of the EC process for expeditious clearances at the State level for category B projects. To assist SEIAAs, State Level Expert Appraisal Committees (SEACs) are constituted by the Ministry in consultation with the State Governments;

AND WHEREAS, the tenure of SEIAA and SEAC is three years, extendable by one year. In the absence of SEIAA and SEAC, appraisal of projects within their domain is carried out at the Central level. The process of reconstitution is ordinarily initiated six months prior to expiry, however, delays occur due to late or incomplete submission of proposals from States;

AND WHEREAS, the matter has been examined in the Ministry. It has been observed that delayed re-constitution of SEIAA leads to complete halt in the EC process at the State levels and the pending proposals are transferred in bulk to the Centre leading to extended timelines and unwarranted delays in the appraisal of the projects, thereby impacting project timelines and investor confidence;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary that the continuity of SEIAA and SEAC be ensured by authorising a separate standing body as an interim arrangement for the purpose of appraisal of projects or activities and grant of regulatory clearances under Environment Impact Assessment Notification, 2006, in the absence of a functional authority and till the constitution of new SEIAA and SEAC;

AND WHEREAS, Appendix VI of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, provides for the composition of the sector or project specific Expert Appraisal Committee (EAC) for category 'A' projects and the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), State or Union territory Level Expert Appraisal Committees (SEACs) for category 'B' projects to be constituted by the Central Government. Based on the experience gathered over the years in constituting EACs and SEIAAs and SEACs, the Ministry deems it necessary to carry out certain amendments in the provisions of the Appendix VI of the EIA Notification, 2006 to further streamline the constitution of EACs and SEIAAs and EACs;

AND WHEREAS, a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1165 (E) dated the 5th March, 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected

thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public and the objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph (6):-

(i) for the word “three” the word “four” shall be substituted.

(ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

“(6a) The process for re-constitution of SEIAA shall be initiated by the State Government six months prior to expiry.

(6b) In addition to the constitution of SEIAA as above, there shall also be a Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) for each State or Union territory which shall be constituted by the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall comprise of ex-officio Members as deemed appropriate. The SAEIA which shall discharge the functions of SEIAA in the event of SEIAA being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of six months in each case subject to another extension of up to maximum period of six months.”

(b) in paragraph 3, in sub-paragraph (7), after the letters “SEIAA” the letters “or SAEIA” shall be inserted.

(c) in paragraph 4, in sub paragraph (iii) the words “In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category ‘B’ project shall be considered at the Central Level as a Category ‘B’ project” shall be omitted.

(d) in paragraph 5, in sub-paragraph (c) :-

(i) for the word “three” the word “four” shall be substituted.

(ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

“(ca) The process for re-constitution of SEAC shall be initiated by the State Government six months prior to expiry.

(cb) A Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) for each State or Union territory shall be constituted by the Central Government comprising of ex-officio Members, which shall discharge

the functions of SEAC in the event of SEAC(s) being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of six months in each case subject to another extension of up to maximum period of six months.”

e. Appendix VI shall be substituted with the following namely:-

“APPENDIX VI

(See paragraph 3 and 5)

A. COMPOSITION AND ELIGIBILITY CRITERIA OF THE SECTOR OR PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY-A PROJECTS AND THE STATE OR UNION TERRITORY LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA), STATE OR UNION TERRITORY LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACS) FOR CATEGORY-B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Qualification:

- i. Five years of formal education leading to a MA or MSc or MBA or LLM Degree, or prescribed apprenticeship or articleship leading to a qualified Chartered Account, or
- ii. In case of Engineering or Technology or Architecture disciplines, four years formal education in a professional course leading to a B.Tech or B.E. or B.Arch. Degree, or
- iii. Civil Service Officers with two years of formal training in a Service Academy.

2. Experience: Any person with the above qualifications along with at least fifteen years of subsequent experience, or with Ph.D., along with at least ten years of total experience in the following fields or disciplines:

- i. Environment Quality: Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- ii. Sectoral Project Management: Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors
- iii. Environmental Impact Assessment Process: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- iv. Risk Assessment
- v. Life Science (Floral and Faunal Management) or Forestry and Wildlife
- vi. Environmental Economics with experience in project appraisal

- vii. Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues.
3. The Membership of the EAC or SEAC shall not exceed fifteen Members, including the Member Secretary. However, the Chairperson may co-opt expert(s) for assisting the EAC or SEAC in any particular matter(s).
4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy or environmental management.
5. The Chairperson shall nominate one of the Members as Vice-Chairperson to preside over the EAC or SEAC in the absence of the Chairperson.
6. A representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or State Government shall officiate as Member Secretary of EAC or SEAC respectively. The Central Government, based on the recommendations of the State Government concerned, may replace the Member Secretary of the SEIAA or SEAC, on account of administrative reasons.
7. The maximum tenure a Member, including Chairperson, can serve in any of the EACs or SEACs or SEIAAs, in totality, shall be for two terms of maximum four years each, provided they are not more than seventy years of age at the time of appointment. However, in exceptional cases, in the event of justification provided for non-availability of or paucity of experts in a given field, the maximum age of the Chairperson or Member may be allowed up to seventy five years at the time of appointment.
8. The Chairman or Members of the aforesaid Committees and/or Authority namely EAC, SEAC and SEIAA shall not be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, except on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Committees and/or Authority in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of EC beyond the timelines specified in the EIA Notification, 2006, as amended.

[F. No. IA3-22/21/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 389(E), dated the 28th January, 2026.